संख्या– 1650 बी./क0नि0–6–2017–20(बी)15/17

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह मौर्य
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2.समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0–6 लखनऊ : दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

विषय– प्रदेश के लघु सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजना तथा एनपीए समाधान योजना के संबंध में।

महोदय,

विषयगत योजना के अन्तर्गत एनपीए समाधान योजना के कियान्वयन में जिलाधिकारियों को आ रही कठिनाइयों और योजना की महत्ता तथा तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त विषय में निर्गत शासनादेश संख्या–1523बी/क.नि.–6–2017–1(बी)/2017, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 के अनुक्रम में एनपीए समाधान योजना की समय–सारणी में संशोधन, स्व–घोषणा प्रमाण पत्र लिये जाने, एनपीए ऋण खातों की भूलेख मैपिंग, आधार का UIDAI द्वारा वैलिडेशन एनपीए समाधान योजना से संबंधित किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिये गये ऋण के सत्यापन तथा शिकायत निवारण के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

2. (1) **एनपीए समाधान योजना की समय–सारणी में संशोधन के संबंध में** –

इस विषयक संशोधित समय–सारणी निम्नवत् होगी :–

संशोधित समय–सारिणी	
सहकारी बैंक शाखाओं द्वारा पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में डाटा प्रविष्टि कर डिजटली हस्ताक्षर करना।	15 नवम्बर, 2017 तक
एनआईसी द्वारा आधार विवरण का UIDAI के माध्यम से डेमोग्राफिक वैलिडेशन कराया जाना	01 नवम्बर से 25 नवम्बर, 2017 तक
एन0आई0सी0 द्वारा राज्य स्तर पर फिल्टर्स चलाया जाना।	25 नवम्बर, 2017 तक
जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन	25 नवम्बर से 25 दिसम्बर, 2017 तक

(2) <u>एनपीए समाधान योजना के अन्तर्गत स्व–घोषणा प्रमाण पत्र लिये जाने के संबंध में</u>

एनपीए में वर्गीकृत खाते काफी पुराने होने के कारण तथा कतिपय किसानों द्वारा कई बैंकों से फसल ऋण लिये जाने के दृष्टिगत सत्यापन में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 द्वारा निर्गत एनपीए समाधान योजना में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शपथ–पत्रों के साथ संलग्नक –1 में निर्धारित प्रारूप पर जिला स्तरीय समितियों द्वारा किसानों से एक अतिरिक्त स्व–घोषणा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(3) <u>एनपीए ऋण खातों की भूलेख मैपिंग के संबंध में</u>

भूलेख मैपिंग के संबंध में जनपदों द्वारा अवगत कराया गया है कि सहकारी बैंकों द्वारा भू–अभिलेख के रूप में वर्तमान खतौनी की प्रविष्टि की जा रही है। शासनादेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 द्वारा निर्गत एनपीए समाधान योजना में निहित व्यवस्था के अतिरिक्त इस विषयक राजस्व विभाग, सहकारी बैंकों के नियमों तथा एनपीए समाधान योजना में विहित मानदण्डों के अन्तर्गत शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त ही अर्हता का निर्धारण जिला स्तरीय समितियों द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे समस्त प्रकरणों में बैंक में इस विषयक उपलब्ध अभिलेखों का मिलान करने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा।

(4) <u>आधार विवरण का UIDAI द्वारा वैलिडेशन के संबंध में</u> –

एनपीए समाधान योजना के कियान्वयन में संबंधित ऋणी किसानों के आधार संख्या के साथ–साथ नाम एवं पता का भी एनआईसी की राज्य इकाई द्वारा UIDAI के माध्यम से डेमोग्राफिक वैलिडेशन कराया जायेगा। उक्त वैलिडेशन के आधार पर प्राप्त परिणामों के अनुसार ही जिला स्तरीय समितियों द्वारा किसानों की पात्रता निर्धारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(5) <u>एनपीए समाधान योजनान्तर्गत किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिये गये ऋण के सत्यापन के संबंध में</u>

एनपीए समाधान योजनान्तर्गत किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिये गये फसल ऋण के संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी बैंकों के नियमों के अनुरूप अलग से विस्तृत चेक बिन्दु उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे कि योजना में विहित मानदण्डों के अनुरूप पात्रता निर्धारण के उपरान्त उक्त चैक बिन्दुओं का भी सत्यापन करने के पश्चात जिला स्तरीय समिति द्वारा धनराशि अन्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

(6) शिकायत निवारण के उपरान्त डिमांड जनरेशन के संबंध में –

इस संबंध में अवगत कराना है कि शिकायत निवारण पोर्टल पर ही किसानों द्वारा आवेदन के समय अपनी पात्रता संबंधी समस्त सूचनाएं यथा आधार नं0, केसीसी खाता सं0, भूमि संबंधी विवरण आदि का अंकन किया जायेगा तथा उक्त सूचना के आधार पर जांचोपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा अर्ह पाये गये समस्त किसानों हेतु डिमाण्ड जनरेशन पोर्टल पर करना होगा। इस हेतु एनआईसी द्वारा पोर्टल पर यथावश्यक अनुकूलन (customization) किया जायेगा जिससे आवश्यकतानुसार समय–समय पर शिकायत निवारण के उपरान्त अर्ह पाये गये किसानों हेतु डिमांड जनरेशन की कार्यवाही की जाती रहेगी।

3– वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

पृ0प0संख्या– 1650(1)बी / क0नि0–6–2017 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त / सहकारिता / आईटी एवं इलेक्ट्रांनिक्स, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त / कृषि / राजस्व / सूचना, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. विशेष सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन (श्री नील रतन)।
7. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उत्तर प्रदेश।
9. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संलग्नक–1

.एनपीए समाधान योजना हेतु Self declaration certificate

यह कि मै.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....
.....जनपद.....का/की निवासी हूँ।

मेरा स्थायी पता निम्नवत् हैः–.

जनपद का नाम.....
तहसील का नाम..... .....

ग्राम.....

मै बयान करता/करती हूँ किः–

1– यह कि मेरी उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि है और मैंने निम्न विवरण के अनुसार बैंकों से फसल हेतु ऋण लिया है–

क.	जनपद का नाम	बैंक का नाम व पता	शाखा का नाम व पता	समिति का नाम व पता (केवल सहकारी बैंक हेतु)	ऋण खाता सं0/केसीसी खाता सं0	बचत खाता संख्या	भूमि का विवरण जिसके सापेक्ष ऋण लिया गया है।
1							
2							

2–यह कि पैरा–1 में उल्लिखित बैंक/ऋण खातों/केसीसी खातों के अतिरिक्त मेरा उत्तर प्रदेश में अन्य कोई फसल ऋण खाता नहीं है। यदि इस संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में आता है कि तो मेरे द्वारा एनपीए समाधान योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये लाभ की ब्याज सहित वसूली की जा सकेगी और असत्य सूचना देने हेतु मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

(घोषणाकर्ता)

यह कि उपर्युक्त पैरा 1 एवं 2 में मेरे द्वारा दी गयी सूचना मेरी निजी ज्ञान के अनुसार सही है और इसमे कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

(घोषणाकर्ता)